

अपनिष्ठ ४५ हरमन्दि

म्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वकील वादी - मसपक्ष रूप०। वकील वादी ने प्रा०
पत्र पेश कर प्रा० पत्रों में / नोट प्रेस में खारिज
किए जाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली को
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसला शुमार नं. से कम की जाकर दाखिल
दफ्तर हो।

✓